

X

8.8.22 पत्रावली पेश हुई। प्राथी अधिवक्ता उपस्थित

नहीं। प्राथी अधिवक्ता को सम्मान प्रोत्तेस पेश करें

हेतु पूर्व में अन्तिम अवसर दिया जाकर चुका है।

प्राथी अधिवक्ता आज भी उपस्थित नहीं हुआ है।

न्यायालय द्वारा रुक रुक कर तीन बार आवाज

लगवाई गई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं

हुआ जिससे स्पष्ट है कि प्राथी अपने वाद के प्रति

गंभीर नहीं है।

अतः प्राथी या प्राथनिक अन्तर्गत आदेश 9 नियम

5 लागू प्रोत्तेस के अभाव में खारिज किया जाता है।

नियम अवे इजलास (मुनाया) गमा।

प्रकरण फ़ैदल शुमार होकर नम्बर से 59

है।

Jyend

प्रतिभा वर्मा

DAS

उपखण्ड अधिकारी

गिर्वा-उदयपुर